अन्य मुद्दों पर भी कार्य हुआ -

मनरेगा में काम न मिलने संबंधी:- जुलाई से सितम्बर माह में गाँव स्तर की बैठकों में जॉबकार्ड धारक सदस्य साथियों ने बताया कि उन्हें समय पर काम नहीं मिलता और यदि काम मिल भी जाए तो वेतन वक्त से नहीं मिल पाता| ट्रस्ट के साथियों ने उन्हें मनरेगा कानून तथा मनरेगा से जुड़े श्रम कल्याण बोर्ड से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई|

स्वास्थ्य कार्ड व् हिमकेयर कार्ड:– ट्रस्ट द्वारा स्वास्थ्य कार्ड व् हिमकेयर कार्ड नव वर्ष शुरू होते ही दोबारा से बनवाए जाते हैं| जिसके लिए बैठकों में बात करना और जागरूक करने के लिए सम्बन्धित स्कीमों की जानकारी देना भी आवश्यक है ! पिछले लगभग छः माह में ट्रस्ट के साथियों द्वारा 7 BPL और 19 अन्य कुल 26 परिवारों के स्वास्थ्य हिम केयर कार्ड बनवाने में मदद की गई ! अतः विभिन्न सरकारी स्कीमों के बारे में लोगों को अवगत करवाकर व उनके रोज़मर्रा के जीवन से जुड़कर भी लोगों तक ट्रस्ट की पहुँच बनी है|

रास्ते, पानी व डगों की समस्या:- जनवरी से मार्च माह की बैठकों में संसाल, बंडिया, सेहल व् खड़नाल आदि पंचायतों के लोगों की तरफ से ट्रस्ट के पास रास्तों, पानी की कमी, सड़कों व् डंगों के मुद्दे सामने आए| संगठन यह समझ रखता है कि इन सभी समस्याओं में अधिकतर महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है| ट्रस्ट के साथियों द्वारा उन्हें सलाह दी गयी कि इन समस्याओं से जूझ रहे परिवारों से मिल कर पंचायत की ग्राम सभा में जा कर सेल्फ में एक प्रस्ताव दिया जाए| सेल्फ में प्रस्ताव देने के बाद ही कार्य पूर्ण हो सकते है | ट्रस्ट के साथियों द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि पंचायतों की ग्रामसभा की सभी बैठकों में हिस्सा लिया जाए तथा पंचायतों में कितने नए कार्यक्रम आये है, इसकी जानकारी हासिल की जाए|

गाँव स्तर की बैठकों में विभिन्न आजीविका प्रशिक्षणों की मांग भी की गयी:

1. अक्टूबर से दिसम्बर माह की बैठकों में महिलाओं द्वारा पाइन नीडल्स, बैग बनाना, होजरी से स्वाटर बनाना, आचार-पापड़ व् मशरूम, ढिंगरी तैयार करना इत्यादि के प्रशिक्षण की मांग की गई|
2. पाइननीडल्स के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न समूहों से सूचियाँ ली गई जिसमें बैजनाथ ब्लॉक की लगभग 17 महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया तथा उन्हें इस प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग देने के लिए दो प्रशिक्षित महिलाओं को बुलाया गया|
3. मशरूम व् ढिंगरी के प्रशिक्षण के लिए जो सूचि आई उसके लिए हौल्टीकल्चर पालमपुर से बात कर लम्बागांव ब्लाक की 20 महिला सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया गया जिसमे PMVT के कोर टीम की एक सदस्य ने भी भाग लिया !

इसके अलावा इन मांगों से सम्बंधित वर्ष भर में महिलाओं को विभिन्न प्रशिक्षण दिए गए परन्तु बारीकी से अपनी प्रतिभाओं को उभारने, तथा आजीविका व मार्किट में उतारने के लिए के लिए इन प्रशिक्षणों की अभी भी आवश्यकता है|

सदस्यता बैठकें: सदस्यता बैठकों का मुख्य उद्देश्य संगठन के विस्तार व मजबूतीकरण करने के लिए मेम्बरशिप के माध्यम से अधिक से अधिक महिला साथियों को संगठित करना है| टीम के साथी द्वारा संगठन के इतिहास से लेकर वर्तमान में संगठन क्या कार्य कर रहा है, विस्तारपूर्वक परिचय देकर सभी साथियों को यह बैठक करने का उद्देश्य साझा किया जाता है| बैठक में आने वाली सभी महिलाओं को मेम्बरशिप का महत्त्व बताया जाता है| इसके बाद पहाड़ों में रहने वाली महिलाओं की विभिन्न समस्याओं से उनका परिचय देकर टीम के साथी, संगठन के आधार पर विस्तृत बात रखते हुए जानकारी साझा करते हैं कि संगठन समाज में समता-समानता के साथ-2 महिला विरोधी मुद्दों जैसे घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाली यौनिक हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य, बाल यौनिक हिंसा (POCSO Act 2012), लड़कियों को पर्याप्त शिक्षा दिलाने हेतु, लैंगिक भेदभाव तथा जातिगत भेदभाव के खिलाफ समाज के प्रगतिशील साथियों के साथ मिलकर काम करता है|

सदस्यता बैठकों में भागीदारी

क्रं.	गाँव का नाम	पंचायत का नाम	कुल सदस्य
01.	भट्टू	भट्टू	66
02.	भेठझिक्ली	भेठझिक्ली	75
03.	कोसरी	कोसरी	60
04.	गुनेहड़	गुनेहड़	65
05.	बंडीयां खोपा	बंडीयां	32
06.	संसाल	संसाल बाग़	50
07.	नगेहड़	बंडीयां	45
08.	मलघोटा	खड़ानाल	51
09.	भटैनी	अवैरी	53
10.	तारागढ़	कुकैना	54
11.	चोगान	चोगान	52
12.	रोपड़ी	आशापुरी	75
13.	सेहल	सेहल	68
14.	तडा	धरेड	58
15.	क्योर	क्योर	52
16.	टन्गु	अवैरी	59
17.	ठेहड़ू	अपर ठेहड़ू	65
18.	मंधोल	महाकाल	54

19.	**संसाल**	**संसाल ठठारना**	**51**
20.	**चनियारा**	**कुदैल**	**56**
21.	**सुआं**	**सुआं**	**51**
22.	**भेट झिकली**	**बनेहड़**	**57**
		कुल सदस्य	**1249**

इसके साथ ही बैठक में आने वाली महिलाओं के साथ क़ानूनी जानकारी भी साझा की जाती है|

सदस्यता बैठकों में संगठन के साथियों द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा अधिनियम (2013), पोक्सो एक्ट (2012), जेंडर, पितृसत्ता इत्यादि पर विस्तृत जानकारी जानकारी दी जाती है|

बैठक के दौरान महिला ने अपनी बहुत ही दु:ख भरी कहानी बताते हुए कहा कि, "मेरी उम्र 72 वर्ष के लगभग है व मेरे पति 85 वर्ष के है | मेरी शादी जब से हुई तब से ही मेरे पति मुझे मारते-पीटते है, और मेरे साथ यौन हिंसा करते हैं | अब भी यौन हिंसा इतनी अधिक होती है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए अपनी पोतियों के पास जाकर सोने पर मजबूर हो जाती हूँ, परन्तु मेरा पति वहीँ से भी मुझे खीच कर ले जाता है| मजबूर होकर कई बार मुझे गाँव में लोगों की गौशाला में रातें गुजारनी पड़ती है |" उनकी बातों को सुन कर उपस्थित सभी महिलाओं की आँखों में आंसू थे|

बैठक में आई सभी महिला सदस्यों को PMVT की तरफ से सुझाव दिया गया कि,जब भी इस तरह की घटना हमारे आस-पास हो रही हो तो समूह को हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक जुट होना होगा, ताकि पीड़िता को हिंसा से राहत मिल सके |

घरेलू हिंसा अधिनियम (2005):- पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट की महिला साथी द्वारा घरेलू हिंसा कानून की विस्तारपूर्वक जानकारी दी जाती है तथा इस कानून के अंतर्गत महिलाओं पर होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा, जैसे शारीरिक हिंसा, मानसिक व् भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा और शादी के अंतर्गत होने वाली यौन हिंसा पर विस्तार से चर्चा की जाती है! बैठक में सम्मिलित महिलाएं ट्रस्ट की महिला साथियों के साथ सहज महसूस करते हुए उन पर होने वाली हिंसा के बारे में बात करने की कोशिश करती हैं| हिंसा से सम्बंधित मामले पंचायतों व प्रोटेक्शन ऑफिसर के माध्यम से कार्यालय में आते हैं तथा कुछ महिलाएं टेलीफोन के ज़रिये भी अपनी समस्याएं खुलकर बताती है|

महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा का सामान्यीकरण:- हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती, देव संस्कृति तथा सादे स्वभाव के लिए जाना जाता है| परन्तु विडंबना यह भी है कि महिलाओं पर होने वाली हिंसाओं के बारे में बातचीत करने के बजाए, इसे घरेलू, पारिवारिक या आपसी मामला कहकर तथाकथित शांत प्रदेश सदियों से ऐसे गंभीर मुद्दों से अपना पल्ला झाड़ता और इनका सामान्यीकरण करता आया है| पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट इन मुद्दों को प्राथमिकता से लेकर पीड़ितों तक पहुँच बनाने, उनके दुखों को समझने, सुरक्षित माहौल देने तथा उनके सालों के खौफ, गुस्से, डर तथा घुटन को लगातार काउंसलिंग के माध्यम से कम करने में कुछ हद तक सफल हो पाया है| ट्रस्ट यह समझ रखता है कि ये मुद्दे व्यक्तिगत नहीं अपितु सामाजिक मुद्दे हैं, जिनके खिलाफ मिलकर खड़े होना तथा समय आने पर आंदोलनरत होना अत्यावश्यक है|

एक महिला ने अपने एक बेटे के साथ सदस्यता बैठक में आकर अपनी कहानी संगठन के साथियों से साझा करते हुए बताया कि वह लम्बे समय से पति की प्रताड़ना सहती आ रही है, इसलिए कुछ समय से अपने मायके में आकर रह रही हैं | उसके दो बच्चे हैं लेकिन एक बेटा पति के पास है तथा दूसरे का पालन-पोषण वह स्वयं कर रही हैं| पति द्वारा उसकी मार-पिटाई करना रोज़ की बात थी| जब तीसरी बार वह गर्भवती हुई तो पति द्वारा उसे धोखे से गर्भपात की दवाई खिलाई गई| तबीयत बिगड़ने पर ससुराल पक्ष ने उसकी खबर तक नहीं ली| महिला ने घरेलू हिंसा के खिलाफ (PMVT) कार्यालय आकर लिखित में एप्लीकेशन दी|

संगठन ने तीन से चार बार दोनों पक्षों की काउंसलिंग करके पीडिता द्वारा तलाक लेने का फैसला अंतिम मानकर कोर्ट जाने की सलाह दी|

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा के रूप

शारीरिक हिंसा -:पति द्वारा महिला के साथ मार पीट करना, पीड़िता को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना (धक्का मारना, ठोकर मारना आदि) ये सब शारीरिक हिंसा में आते हैं।

लैंगिक हिंसा:- महिला की गरिमा को हानि, अपमानित या तिरस्कृत करना लैंगिक हिंसा के अंतर्गत आता है। परिवार के किसी भी सदस्य या पति द्वारा महिला के साथ उसकी मर्जी के बिना शारीरिक सम्बन्ध बनाना, परिवार में महिला को अन्य लोगों के मनोरंजन के लिए उपयोग करना, महिला को नीचा दिखाने या अपमानित करने के लिए लैंगिक तरीके का उपयोग करना इत्यादि लैंगिक हिंसा के अंतर्गत आते हैं।

मौखिक और भावनात्मक हिंसा:- महिला का अपमान करना, गलियाँ देना, चरित्र पर कलंक लगाना, दोषारोपण, दहेज़ सम्बन्धी ताने सुनाना, संतान न होने व लड़का न होने पर अपमानित करना, नौकरी करने से रोकना व नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना, मौखिक तथा भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आते हैं।

आर्थिक हिंसा:- आर्थिक संसाधनों जिसके लिए महिला किसी कानून या परम्परा के अनुसार हकदार है, उसका उपयोग न करने देना, साझी गृहस्थी के प्रयोग से रोकना तथा अन्य प्रकार का खर्चा देने से इन्कार करना कानून की नजर में अपराध है जो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है।

कार्यस्थल पर होने वाली यौनिक हिंसा अधिनियम (PoSH 2013) :- बैठकों में आई महिलाओं को संगठन के साथियों द्वारा कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाली यौनिक हिंसा के बारे में विस्तार से चर्चा परिचर्चा की जाती है| महिलाओं को इस कानून के अंतर्गत मिलने वाली राहतों के बारे में बताया जाता है| हिंसा होने पर पीड़ित सबसे पहले शिकायत गाँव के प्रधान को तथा सुनवाई न होने की स्थिति में महिला पुलिस थाना तथा सीधे रूप से जिलाधिकारी से शिकायत कर सकती हैं! कार्यस्थल पर होने वाली यौन हिंसा कानून के अंतर्गत पीड़िता को न्याय मिल सकता है! इस कानून के अनुसार किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन/संस्थान जिसमें दस से अधिक कर्मचारी हों, संगठन या संस्थान, आतंरिक शिकायत समिति गठित करने के लिए बाध्य है| कमेटी सदस्यों में संस्था की तरफ से एक महिला साथी का होना भी अनिवार्य है| 9 दिसम्बर 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को लागू किया गया |

पीड़िता ने संगठन के साथियों को बताया कि पति की मृत्यु के पश्चात् बच्चों के पालन पोषण तथा गुज़र-बसर के लिए वह अपनी पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत काम कर रही थी| लेकिन कुछ समय पश्चात मनरेगा की लिस्ट में उनका नाम न आने के कारण उन्होंने पंचायत प्रधान से सम्पर्क किया| कई बार विनती करने के बाद प्रधान ने उनसे घर आकर फॉर्म पर स्टैम्प लगवाने के लिए कहा| अगले दिन ही वह स्टैम्प लगवाने के इरादे से प्रधान के घर पहुंची जहां उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने की कोशिश की| जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वह घर से बाहर निकली और तुरंत प्रधान की पत्नी को अपने ऊपर हुए उत्पीडन के बारे में बताया तथा साथ ही पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज़ करने गई| प्रधान की पत्नी ने उसे यह बात किसी से न कहने के लिए कहा और पति के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत करने से रोकने की कोशिश की। लेकिन पीड़िता ने उनकी एक न सुनी और टेलीफोन के ज़रिए अपने ऊपर हुए उत्पीड़न की व्यथा पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट के साथी को सुनाई| साथी ने उन्हें उनके साथ हर तरह से उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया तथा निर्भय होकर पुलिस में प्रधान के खिलाफ शिकायत करने के लिए कहा|

प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 (POCSO):- परिवार द्वारा बच्चों को हमेशा दुनिया की नजरों से बचाया जाता है, परन्तु घर, पड़ोसी तथा रिश्तेदारों की नजरों को परखने में अधिकतर लोग मात खा जाते हैं जिसका नतीजा बच्चों को उम्र भर भुगतना पड़ता है| आसपास के व्यक्तियों, अध्यापकों व रिश्तेदारों द्वारा बच्चों के साथ बलात्कार जैसे संगीन अपराधों को अंजाम दिया जाता है| बचपन के इस ट्रॉमा से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है| संभव है कि बच्चों

के साथ होने वाले बलात्कार तथा छेड़छाड़ के मामले अन्य अपराधों की तरह न दर्ज़ होते हैं और न ही कानून तक पहुँच पाते हैं| 2012 में बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीडन तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने लिए पोक्सो एक्ट लागू किया गया|

जेंडर – ऐसी कई बातें हैं जो बिना हमारे जन्म से ही हमारी पहचान से जुड़ जाती हैं| जैसे जन्म के समय हमारे जननांगों के आधार पर हमें सेक्स की एक पहचान दे दी जाती है, अगर लिंग हो तो मेल और योनि हो तो फीमेल । यदि किसी के शरीर की बनावट या इनके जननांग उनके शरीर से मेल नहीं खाते हैं, तो भी समाज उन्हें दो डिब्बों (स्त्री व पुरुष) में फिट करने की कोशिश करता है। देखते ही देखते यह नियम हमारे शरीर का हिस्सा बन जाते हैं| यदि इनके खिलाफ जाने की कोई भी जुर्रत करे तो उन्हें सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी जाती है या फिर "भगवान् द्वारा बनाए गये नियमों को तोड़ने की सजा प्रलय के रूप में सारे समाज को भुगतनी पड़ेगी" ऐसे बेतुके तर्क देकर लोगों को गुमराह किया जाता है| जो व्यक्ति हिम्मत करके समाज के इन नियमों को मानने से इनकार करता है तो ऐसी परिस्थिति में समाज के तथाकथित रखवाले हिंसक होने से भी पीछे नहीं हटते |

इसी कारण हमारे लिए पुरुष और महिला के सामाजिक डिब्बों को तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है जितना किसी मजबूत दीवार को तोड़ना मुश्किल होता है| इसलिए वे समाज से भागने या लड़ने से अच्छा इन रीति-रिवाजों को अपनाने के लिए मजबूर होते हैं। यदि हम अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएं या ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे जो ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं जिसमें लैंगिक असमानता को खत्म करके सभी को समाज में अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार हो, तो यह सिर्फ सपना नहीं बल्कि वास्तविकता की विचारधारा बन जाएगी। ट्रस्ट यह समझता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इन दीवारों को तोड़ने की कोशिश करे, ताकि यह सपना पूरा हो सके|

हम पीढ़ियों से जेंडर को जिस रूप में देखते आए हैं हमें उस नजरिए को बदलने की जरूरत है। हमें ये समझने की जरूरत है कि जेंडर में केवल एक लड़का या लड़की ही नहीं है बल्कि इसमें अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं। समाज ने जेंडर पर हमें अनेक नाम दिए हैं |जिस व्यक्ति के शरीर में लिंग उसे पुरुष तथा जिसके शरीर में योनि हो उसे महिला नाम दिया है, और जिन लोगों के पास न हीं योनि है और न ही लिंग है उन्हें अन्य कह दिया है| बच्चे की पहचान जन्म के समय लिंग के कारण लड़के के रूप में की जाती है लेकिन जब वह बड़ा होता है तो स्वयं में बदलाव महसूस करता है तथा स्वयं को लड़की जैसा अनुभव करता है|

ट्रांस जेंडर एक छाते के समान है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रांसपर्सन हैं जो अपने आप में अलग हैं। 1980 के बाद यह सब नाम सामने आए है। समाज का मानना है कि केवल औरतों को ही पीरियड आते हैं परंतु यह सच नहीं है| महिलाओं की भांति ट्रांस पुरुषों को भी पीरियड्स आते हैं।

ट्रांसजेंडर को ट्रांसपरसन कहना उचित होगा।

ट्रांसपरसन कई प्रकार के होते हैं।

ट्रांसजेंडर--वो इंसान जिनका लिंग जन्म के समय तय किए गए लिंग से मेल नहीं खाता इनमें ट्रांसमैन, ट्रांस वुमन, इंटर सेक्स और किन्नर भी आ जाते हैं|

शोर्ट में हम इन्हें एल जी बी टी क्यू आई कहते हैं।

सेक्सुअल्टी के बारे मे पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट के साथियों की ऑरियनटेशन की गई। विस्तृत चर्चा के माध्यम से जेंडर और पितृसत्ता पर समझ बनाने की कोशिश की गई।

जेंडर को समझना –

जेंडर :**आदमी , औरत और अन्य**

सेक्स: योनि , लिंग , ट्रांस

ट्रांस: ट्रांस वोमिन , ट्रांस मैन, नोनवाईनरी , जेंडर कवीर ,जेंडर फलूड।

- **L - (लेस्बियन) -** लेस्बियन जो महिला है और महिला से प्यार करती हो |
- **G - (गे) -** वह होते हैं जो पुरुष है और पुरुष से ही प्यार करते है |
- **B - (बाय सेक्शुवल) -** बाय सेक्शुवल जो महिला और पुरुष दोनों से ही प्यार करते है !
- **T - (ट्रांस जेंडर) -** ट्रांस जेंडर उस स्त्री या पुरुष को कहते है जिसकी पहचान जन्मजात लिंग से न होकर दुसरे लीग के रूप में हो, या जिसने लिंग परिवर्तन किया हो |
- **Q - (क्वीर) -** यह वह लोग होते है जो तय नहीं कि उनका आकर्षण पुरुष की तरफ है या महिला की तरफ | इनका व्यवहार अजीव/अलग जैसा ही होता है |

- **I - (इंटर सेक्स) -** इंटर सेक्स वह होते है जिनका जन्म के समय लिंग निर्धारित नहीं होता है|

- **जेंडर और सेक्स में अंतर:-**

(1) जेंडर सामाजिक तथा सांस्कृतिक है| इसका संबंध स्त्री पुरुष के गुणों और व्यवहार के तरीकों से है|जबकि सेक्स शारीरिक है यह औरत और मर्द के जननांगों से स्पष्ट हो जाता है |स्त्री गर्भ धारण करती हैं और बच्चों को दूध पिलाती हैं|

(2) सेक्सुआलिटी प्रकृति की देन है।

(3)जेंडर परिवर्तनशील है तथा सेक्स स्थाई है।

(4)जेंडर समय व संस्कृति,परिवार तथा जाति के साथ बदल सकता है,जबकि सेक्स व्यक्ति (स्त्री और पुरुष) के शारीरिक अंगों की बनावट पर आधारित होता है|

संगठन ने महसूस किया कि समता-समानता (जेंडर-जस्टिस) को समझने के लिए सबसे पहले कोर टीम की ओरिएंटेशन होना बेहद जरूरी है| कोर टीम की इस ओरिएंटेशन में हिमाचल क्वीर फाउंडेशन के साथियों ने रिसोर्सपर्सन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे टीम में महिला-पुरुष के अलावा तीसरे जेंडर (LGBTQI+) को देखने व समझने का पुराना रुढ़िवादी नजरिया बदल एक नई प्रगतिशील सोच का उदय हुआ| इसी सोच को लेकर वे अपने कार्यक्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं और लोगों के बीच जेंडर पर खुलकर बात रखते हैं| एक्सपोज़र के माध्यम से भी साथियों को जेंडर को अधिक गंभीरता से समझने में सहायता मिली |

पितृसत्ता:- हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है | पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें समाज को चलाने के लिए पुरुष की केन्द्रीय भूमिका रहती है| समाज में महिलाओं की स्थिति मुख्य न हो कर द्वितीय है, निर्णय प्रक्रिया में भी उनका महत्व न के बराबर है| महिलांए पुरुषों पर लगभग आश्रित होने के लिए मजबूर हैं| जमीन-जायदाद पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार है| विवाह के पश्चात् महिलाओं का उपनाम भी बदल दिया जाता है| साधारण शब्दों में पितृसत्ता, पुरुषों द्वारा महिलाओं का शोषण करने का एक जरिया है| महिलाओं को विभिन्न प्रशिक्षणों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखे गए साहित्य के माध्यम से पितृसत्तात्मक, सामंतवादी व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देकर चर्चा का माहौल तैयार किया जाता है|

प्रशिक्षण कार्यक्रम:- प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने के पीछे ट्रस्ट की कोशिश रहती है कि महिलाएं मानसिक, शारीरिक तथा व्यक्तिगत रूप ट्रस्ट के साथ जुडें और ऐसे कार्यों में हिस्सा ले सकें जिससे उन्हें हिंसा से जुड़े हुए हर पहलु की जानकारी मिल सकें| ऐसे कार्यक्रमों व प्रशिक्षणों के माध्यम से सहभागी सदस्यों की समझ, आत्मविश्वास, हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत और क्षमता वर्धन ट्रस्ट का मुख्य उदेश्य है| PMVT का यह भी प्रयास रहता है कि इन प्रशिक्षणों के ज़रिये महिलाएं आगे आकर स्वयं के आर्थिक व सामाजिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों में भाग ले सके| गाँव स्तर पर किए जाने वाले इन कार्यक्रमों से **"पर्वतीय** महिला **विकास ट्रस्ट"** को मजबूती मिली है और इस प्रकार संगठन, लोगों तक पंहुचने का माध्यम भी है|

दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा
तू खुद को बदल, तू खुद को बदल तब ही तो जमाना बदलेगा
दरिया की कसम...
तू चुप रहकर जो सहती रही, तो क्या ये जमाना बदलेगा
तू बोलेगी, मुंह खोलेगी, तब ही तो जमाना बदलेगा
दरिया की कसम...
दस्तूर पुराने सदियों, ये आए कहाँ से, क्यों आए
कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो, ये क्यों तुमने हैं अपनाए
दरिया की कसम...
ये पर्दा तुम्हारा कैसा है, क्या ये मजहब का हिस्सा है
कैसा मजहब, किसका पर्दा, ये सब मर्दों का किस्सा है
दरिया की कसम...

क्र. सं.	**प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम**	**तिथि**	**सदस्य संख्या**
1	थिएटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	14 जुलाई 2022	196
2	वेनलीडो प्रशिक्षण	19-21जुलाई 2022	18
3	जेंडर, पितृसत्ता व हिंसा पर एक दिवसीय ओरिएंटेशन-जुलाई 2022	26 जुलाई 2022	10
4	घरेलू हिंसा सरवाईवर्ज़ एक दिवसीय ओरिएंटेशन	28 अगस्त 2022	20
5	PRI पंचायत प्रतिनिधि एवं वार्ड सदस्यों के साथ एक दिवसीय ओरिएंटेशन	21 सितम्बर 2022	60
6	घरेलू हिंसा कानून 2005 के बारे में जागरूकता एवं मानसिक तनाव से उभरने हेतु कार्यशाला	13-14 नवम्बर 2022	24
7	आजीविका यात्रा	19-21 दिसंबर 2022	
8	सक्रीय व टीम के सदस्यों का क्षमता वर्धन प्रशिक्षण (भाग-1)	30-31 दिसम्बर 2022	37
9	सावित्री बाई फुले जयंती ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम	03जनवरी 2023	84

10	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस	08 मार्च 2023	65
11	क्षमता वर्धन प्रशिक्षण	29-30 जनवरी 2023	27
12	एक दिवसीय घरेलू हिंसा ओरिएंटेशन	15 फरवरी 2023	14
13	पब्लिक स्पीकिंग थिएटर प्रशिक्षण(फोरम थिएटर)	27-31 मार्च 2023	25
14	संविधान निर्माता डॉ भीमराव अम्बेडकर जयंती का भव्य आयोजन	14 अप्रैल 2023	600
15	मानसिक तनाव से उभरने हेतू एक दिवसीय ओरिएंटेशन	29 अप्रैल 2023	15
16	कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा तथा जेंडर जस्टिस पर थिएटर प्रस्तुति	13 मई 2023	70
17	आजीविका कुशलता मेला	24 जून 2023	490
TOTAL	17		

1. **थिएटर प्रशिक्षण कार्यक्रम (14 जुलाई 2022):-** संगठन का सबसे पहला कार्यक्रम तारागढ़ पंचायत में थिएटर के माध्यम से आयोजित किया गया| पितृसत्ता, जेंडर-असमानता, लैंगिक हिंसा, छेड़छाड़ तथा यौनिक हिंसा जैसे सामाजिक मुद्दों को पंचायत के लगभग 200 लोगों के बीच फोरम थिएटर के माध्यम से उजागर किया| कार्यक्रम में आए साथियों, खासतौर पर महिलाओं ने चलते नाटक में स्टॉप बोलकर इन मुद्दों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की तथा अपने साथ हुई हिंसा पर खुलकर बात भी रखी जो कि समाज के लिए एक साहस, बहादुरी और प्रगतिशीलता का संकेत है| इसके साथ ही सभी साथियों ने संगठन से मांग भी की कि भविष्य में इसी तरह इन मुद्दों पर गाँव/पंचायत स्तर पर थिएटर प्रोग्राम करवाए जाएं|

2. **वेनलीडो प्रशिक्षण कार्यशाला (19-21st जुलाई 2023):-** इस दो दिवसीय कार्यशाला से सहभागी महिलाओं को एक नयी उर्जा, आत्मविश्वास तथा किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ लड़ने की ताकत का अनुभव हुआ| महिलाओं के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा का समाज द्वारा सामान्यीकरण कर दिया जाता है, जिसके कारण वे हिंसा के

खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाती| कार्यशाला में आई महिलाओं ने अपने ऊपर हुई हिन्सा को पहचाना तथा इसके खिलाफ आवाज़ उठाने व लड़ने के लिए तैयार हुई|

3. जेंडर, पितृसत्ता तथा घरेलू हिंसा पर एक दिवसीय ओरिएंटेशन (26 जुलाई 2022):- बचपन से हम यही सुनकर बड़े हुए हैं कि जेंडर केवल दो तरह (महिला- पुरुष) के ही होते हैं| संगठन ने महसूस किया कि समता (जेंडर-जस्टिस) समानता समझने के लिए सबसे पहले कोर टीम की ओरिएंटेशन होना बेहद जरूरी है| कोर टीम की इस ओरिएंटेशन में हिमाचल क्वीर फाउंडेशन के साथियों ने रिसोर्सपर्सन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे टीम में महिला-पुरुष के अलावा तीसरे जेंडर (LGBTQI+) को देखने व समझने का पुराना रुढ़िवादी नजरिया बदल एक नई प्रगतिशील सोच का उदय हुआ| इसी सोच को लेकर वे अपने कार्यक्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं और लोगों के बीच जेंडर पर खुलकर बात रखते हैं| एक्सपोज़र के माध्यम से भी साथियों को जेंडर को अधिक गंभीरता से समझने में सहायता मिली|

3. **घरेलू हिंसा सर्वाइवर्ज़ के साथ एक/दो दिवसीय ओरिएंटेशन (अगस्त, नवम्बर 2022, फरवरी, अप्रैल, जून 2023):-** संगठन में आने वाली महिलाओं को सुरक्षित व अपनेपन का माहौल देने का उद्देश्य ध्यान में रखते हुए, हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने व मानसिक सदमे से उभारने के लिए समय-समय पर एक/दो दिवसीय ओरिएंटेशन का आयोजन किया गया| जिसमें डार्लिंग्ज़, छतरीवाली जैसी प्रगतिशील फिल्में भी दिखाई गई| महिलाओं ने अपने ऊपर हुई हिंसा व

घुटन के अनुभव खुलकर साझा किए| आगे बात रखते हुए उन्होंने कहा कि समय समय पर होने वाले इन कार्यक्रमों से उन्हें स्वयं को खोजने तथा मानसिक तनाव से उभरने में काफी मदद मिली है|

PRI पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एक दिवसीय ओरिएंटेशन (सितम्बर 2022):- पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा पंचायती राज कानून, जेंडर व् घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर बैजनाथ ब्लॉक के पंचायत प्रतिनिधियों व वार्ड मेम्बरों के साथ एक दिवसीय ओरिएंटेशन का आयोजन किया गया| इस ओरिएंटेशन का मुख्य उद्देश्य संगठन का पंचायत-प्रतिनिधियों व वार्ड मेम्बरों

के माध्यम से पंचायतों में हस्तक्षेप करके, कार्य करना क्यों जरूरी है, हिंसा मुक्त समाज, समता समानता, बराबरी, पंचायती राज व्यवस्था इत्यादि के विषय में विस्तार से चर्चा-परिचर्चा करना है| अतः इस ओरिएंटेशन से पंचायत स्तर पर संगठन के विस्तार तथा मजबूतीकरण में सहायता मिली|

4. **घरेलू हिंसा कानून 2005 के बारे में जागरूकता एवं मानसिक तनाव से उभरने हेतू कार्यशाला (नवंबर 2022):-** इस दो दिवसीय कार्यशाला में सर्वाइवर महिलाओं ने रिसोर्सपर्सन के रूप में आए अधिवक्ताओं से हिंसा सम्बंधित कानूनों, केसवर्क, फैक्ट-फाइंडिंग व दस्तावेजीकरण तथा हिंसा का सामना करना व लड़ना आदि विषयों पर जानकारी ली तथा मानसिक तनाव से उभरने के लिए मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट द्वारा सर्वाइवर महिलाओं के साथ ओरिएंटेशन भी की| महिलाओं ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से उनके हिंसा के खिलाफ कोर्ट जाने के डर तथा विभिन्न प्रकार की ग़लतफ़हमियाँ दूर हुई| कई महिलाओं ने समाज द्वारा उन पर थोपी गई तथाकथित 'इज्ज़त' का डर एक तरफ करके तलाक लेने का निर्णय लेकर हिंसा मुक्त जीवन जीने का फैसला लिया|

5. आजीविका यात्रा (दिसम्बर 2022) :- समय-समय पर संगठन द्वारा महिलाओं को विभिन्न प्रकार के आजीविका प्रशिक्षण दिए गए| आजीविका प्रशिक्षण के अलावा अपनी स्किल को और बारीकी से समझने व सीखने के लिए उनके लिए मही पंचायत (सोलन), तथा सिरमौर की भ्युरा कंपनी (जहाँ कार्य करने वाली सभी महिलाएं ही है), में एक्सपोज़र विजिट का आयोजन भी किया गया| वर्तमान में विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग तथा एक्सपोज़र के कारण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने में सफल हो पाई हैं|

6. सक्रीय व टीम के सदस्यों का क्षमता वर्धन प्रशिक्षण (दिसम्बर 2022,जनवरी ट्रस्ट द्वारा आयोजित इन कार्यशालाओं में महिलाओं ने बताया कि विभिन्न प्रकार के एक्सपोज़र, प्रगतिशील फीचर फिल्मों, कानूनी जानकारी के माध्यम से, उनके ऊपर होने वाली हिंसा व्यक्तिगत नहीं अपितु सामाजिक मुद्दा है, जिसे समाज की हर महिला सहन करती हैं, तथा इसके साथ ही समाज में मौजूद अन्य तरह के मुद्दों के विषय में एक समझ बनाने में वे सफल हुई हैं तथा वर्तमान में अपने गाँव/पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक कर रही हैं| |

7. सावित्री बाई फुले जयंती, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस तथा डॉ भीमराव आंबेडकर जयंती पर ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम (3 जनवरी, 8 मार्च, 14 अप्रैल 2023):- संगठन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इन कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं की रही और महिलाओं की शिक्षा, उनके हक-अधिकार, घरेलू हिंसा, जातिगत व लैंगिक

भेदभाव जैसे ज्वलंत मुद्दों, जिनके बारे में शांत, देवभूमि कहलाए जाने वाला प्रदेश हमेशा से नकारता आया है, इसके बारे में खुलकर चर्चा-परिचर्चा की गई तथा जाति-धर्म को पीछे छोड़कर वैज्ञानिक सोच के साथ मिलकर काम करने के लिए लोग प्रोत्साहित हुए जिसके कारण लगभग छः हज़ार से अधिक लोगों तक पहुँच बनाने में संगठन सफल रहा|

8. **पब्लिक स्पीकिंग थिएटर प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम (फोरम थिएटर) (मई 2023):-** समाज में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा व अन्य सामाजिक मुद्दों को लोगों के बीच ले जाने व चर्चा परिचर्चा करने के लिए थिएटर भी एक महत्वपूर्ण माध्यम

है| संगठन की उपलब्धि यह रही कि सालों से महिलाओं के अन्दर पल रही पीड़ा, गुस्सा, घुटन इत्यादि को खुलकर व्यक्त किया तथा नाटक के ज़रिए अपनी ऊपर हुई हिंसा की कहानियों को प्रस्तुत किया| ऑडियंस में बैठे साथियों ने घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा, महिलाओं को बराबर संपत्ति के अधिकार आदि मुद्दों पर चर्चा की तथा चलते नाटक में स्टॉप बोलकर पीड़ित पात्र की जगह लेकर, हिंसा के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके भविष्य में समाज हिंसा मुक्त बने, इसलिए उन्होंने नाटक में सकारात्मक बदलाव भी लाए|

9. **आवाजें फाउंडेशन टीम के साथ तीन दिवसीय कार्यक्रम (06-08 जून 2023):-** पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा कोर टीम, घरेलू हिंसा सर्वाइवर महिलाओं तथा विभिन्न महिला मंडलों/समूहों की महिलाओं के साथ तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें आवाजें फाउंडेशन के साथी भी शामिल हुए| इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ट्रस्ट द्वारा एक वर्ष में किए गए कार्यों,प्रशिक्षणों,क्षमता वर्धन इत्यादि के बारे में चर्चा करना तथा आने वाले समय में भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना करने,सभी महिलाओं के लिए सेफ हाउस का सपना साकार करने के लिए हमें किस तरह की योजनाए बनानी चाहिये इसकी चर्चा रहा|

10. **आजीविका कुशलता मेला (जून 2023):-** आजीविका कुशलता मेला संगठन का वर्ष का सबसे बड़ा कार्यकम रहा जिसमें लगभग 500 महिलाओं ने भाग लिया| इतिहास गवाह है कि समाज ने हमेशा महिलाओं को नौकरी न करने, अपनी प्रतिभाओं का गला घोंटकर बिना उसकी मर्जी के शादी करने तथा घर की चार दीवारी के भीतर रहने को मजबूर किया है| मेले में महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया तथा खासतौर पर हाथ से बने विभिन्न प्रकार के उत्पादों के स्टॉल लगाकर मुनाफा भी कमाया| सरवाईवर महिलाओं ने अपने ऊपर हुई हिंसा की कहानी तथा वर्तमान में वे संगठन के साथ जुड़कर क्या अनुभव कर रही हैं, अपनी जुबानी साझा की, जो कि संगठन के लिए साल भर की सबसे बड़ी उपलब्धि रही|

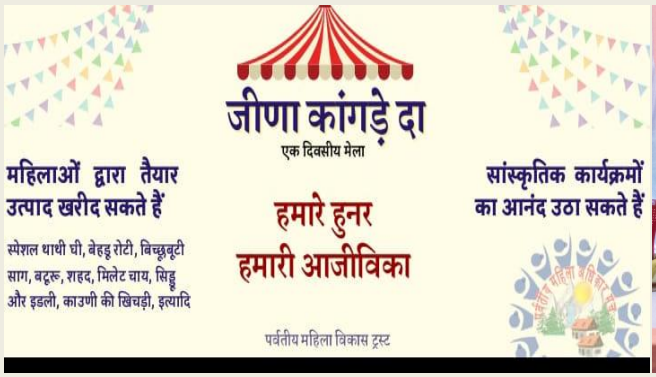

11. हिमाचल प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की स्थिति लिखी गयी "हिम्मत "बुकलेट:

शांत या देवभूमि कहलाए जाने वाले हिमाचल के अंदर घरों में महिलाओं के साथ कितना बुरा व्यवहार होता है, कैसे उनको दबाया जाता है, कैसे उनको अवसरों से वंचित रखा जाता है, इस विषय पर एक बुकलेट तैयार करके घरेलू हिंसा, यौनिक हिंसा, जातिगत भेदभाव व् हिंसा जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालने की कोशिश की गयी है| हिमाचल में दलित महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों (घरेलू व यौनिक हिंसा, सामाजिक-आर्थिक भेदभाव इत्यादि) के विषय में रिसर्च अभी तक न के बराबर हुई है| संगठन में लगभग 80% महिलाएं दलित समुदाय से सम्बन्ध रखती हैं| अतः इस बात को ध्यान में रखकर इन मुद्दों पर लिखने का प्रयास किया गया है|

मैं इक साला ते इस संगठना कने जुड़िरी| मिंजो इता ते पहले इस कमा री कोई जाणकारी नी थी| मिंजो पर्वतीय महिला अधिकार मंच ने जुड़ने गे बाद ही औरता कने कम करणे दा मौका मिलेया| मैं तां कदी सोचेया वी नी था कि मैं वी एह देया कम करी सकदी| लोका दे गाँव-गाँव जाई कने इक-इक घरा दा सर्बे करणे लायक हिम्मत बी मिलणी| जालू ए सब कम करणे लगी पई ता अप्पू पर बिस्बास नी होई करदा था| संगठना कने जुड़ी के मैं बड़ी भारी ट्रेनिंगा भी लई| फिरी ता मिंजो लगया कि हुण नी डरदी मैं कुसी ते, जेड़ा हूंगा,दिखेया जांगा| जालू मैं घरे ते बाहर बी जाणा लगी, ता मेरा आत्मबिसबास होर बी बदी गया| मिंजो ए नी लगदा था कि मैं कुछ जाणदी नी या मैं किन्नी पढ़ियो| सब पता मिंजो, देदेया फील हुंदा था अन्दरा ते कि मेरे अन्दर बड़ा सारा कांफिडेंस हा| जालू मैं किथकियो जांदी ता बेझिझक होई ने अपणी गल गलांदी|

मिंजो तिन्हा जनासा री मदद करणा बदिया लगदा, जिन्हां दे लाडे अपणी लाड़ीया जो छड्डी ने चली जांदे, सोगी नी रहंदे या मरी जांदे| सौं हार मन्नी कने घरा बैठी गिरी या बोल्दीयाँ कि बस हुण मैं बी मरी जाणा| सौं अप्पू ताएं कोई फैसला नी लायी पान्दियाँ, ना सोची पान्दियाँ| एड़ी औरता तक पुजणा चाहन्दी मैं| क्योंकि तिन्हा वाल्ही बी सारे रंग हाए| ए दुनिया रंग-बरंगी है, बिधवा जो जेड़ा चिट्टा रंग दित्या जांदा,से भी एक रंगा| एस रंग-बरंगी दुनिया च असां जो हार नी मनी लेणी चाहीदी| क्योंकि मैं अपणे मायके रहन्दी कने काम भी एथू ते ही करदी| एक बिधबा जो समाज कुस नजरा ते दिखदा, ए कुसी ते छुपिरा निया| असां जो अपणे बच्चेयां जो भी एह दियां सारी गलां दसणी चाहीदी| जो चीज असां जो नी मिली, असां दे बच्चेयां जो

मिलणी चाहिदी| संगठना कने कम करदे-करदे एह सब बी सिखेया|

खासकर 24 जूना दे प्रोग्रमा च मेरे कने इतणी जनासां आई सकदी,मिंजो यकीन ई होया| तिन्हा रे मुंहा ते तारीफ सुणी, जालू लगेया कि मैं बदिया कम करणा लगियो|

बाबा भीमराव आंबेडकर जी ने इक गल कीतियो थी कि मैं तिस लास्ट घरे तक सिक्सा पहुंचाणी जिथी कुसी जो कुछ पता ही नी हुंदा| तां मैं बी एड़ा कुछ सोच्चेया कि मैं बी तिस आखरी घरे री महिला तक पुजणा चाहन्दी| तिन्हा री गल सुनणा चाहन्दी कने अपणी गल बी गलाणा चाहन्दी| मिंजो लगदा कि ए संस्था एह देया ही कम करदी, कने मिंजो उम्मीद बी कि अग्गे बी कम चलदा रहणा|

केसवर्क: -

पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य घरेलु हिंसा से पीड़ित महिला की सुरक्षा करना, हिंसा से जुड़े केस की जांच परख करना तथा मामले को सुलझाने की ओर ले जाना है| **'ट्रस्ट'** अपनी जागरूकता व् विस्तार के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में गाँव स्तर पर व्यक्तिगत बातचीत, पंचायत घर, स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल, विभिन्न स्कूलों की युवतियों के समूहों में हिंसा से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूक कर रहा है| **'ट्रस्ट'** की हर प्रकार से यह कोशिश रहती है कि बड़े स्तर पर महिलाओं का एक ऐसा नेटवर्क बने जहाँ हाशिये पर रह रहे अल्पसंख्यक समुदायों तक हिंसा से जुड़े इन मुद्दों को ले जाया जा सके|

एक वर्ष में पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट में हिंसा के आए कुल मामले

क्र.सं.	ट्रस्ट में अब तक आये DV के कुल मामले	पीड़ित महिलाओं के आए DV के कुल मामले	हिंसा से पीड़ित पुरुषों के कुल मामले	टेलीफोन के ज़रिये आये घरेलू हिंसा के मामले	SC	ST	OBC	GEN	ट्रस्ट द्वारा सुलझाए गए मामले	कोर्ट द्वारा सुलझे मामले	प्रोसेस में चल रहे मामले	कुल निलम्बित मामले
कुल मामले	84	57	08	19	44	09	05	07	44	09	14	17

पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अपनी बात बिना हिचकिचाहट व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित, दोस्ताना और अपनेपन का माहौल प्रदान करता है| संगठन में आने वाली महिलाओं की बात सुनने के लिए संगठन में समय की कोई पाबन्दी नहीं होती, वे जितनी भी देर चाहे अपनी बात साथियों से साझा कर सकती है| बातचीत के पश्चात पीड़िता हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए लिखित रूप में एक एप्लीकेशन कार्यालय में देकर मामले की कार्यवाही आगे बढ़ाने में सहमति देती है| गहन अध्ययन तथा जांच पड़ताल करने के बाद मामले की पेचीदगियों को गंभीरता से समझा जाता है|

पीड़िता की स्थिति और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए उसकी इच्छानुसार ट्रस्ट की ओर से आगे की कार्यवाही की तरफ बढ़ा जाता है| पीड़ित महिला के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए ट्रस्ट के साथी द्वारा महिला की काउंसलिंग की जाती है| उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक स्थिति पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है| मध्यस्तता की तरफ बढ़ते हुए पीड़ित महिला के नेतृत्व में सम्बंधित पक्षों को बुलाकर बातचीत की जाती है तथा इससे बाद ट्रस्ट की पहली कोशिश दोनों पक्षों को आमने-सामने बिठाकर स्थिति के मुताबिक़ व्यक्तिगत समझौता करवाने की होती है| लेकिन यदि दोनों पक्षों में बात समझौते तक नहीं पहुँच पाती, तो उन्हें क़ानूनी कार्यवाही की तरफ बढ़ने की सलाह दी जाती है| ट्रस्ट के नेतृत्व में, मामलों का फोलोअप करने के साथ-साथ पीड़ित महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण तथा एक्सपोज़र का आयोजन किया जाता है|
ट्रस्ट के साथ जुड़ने से ज़ाहिर है कि महिलाएं हिंसा तथा भेदभाव के खिलाफ खड़ी हो रही हैं तथा वर्षों पुराने तथाकथित पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती दे रही हैं| महिलाओं का हिंसा के खिलाफ हिम्मत के साथ खड़े होने और ट्रस्ट पर वर्षों से इसी तरह विश्वास जताने से प्रेरित होकर **पीएमवीटी** अधिक मजबूती के साथ एक हिंसामुक्त और भेदभावमुक्त समाज का सपना पूरा करने की दिशा में प्रयासरत है|

एक वर्ष में ट्रस्ट द्वारा घरेलू हिंसा मामलों में किए गए कार्य:-

(1) ट्रस्ट में आए कुल 65 मामलों में से 44 मामले सुलझाए गए| कार्यालय में आने वाले पीड़ितों की समय समय पर काउंसलिंग की गई| महिलाओं ने या तो ससुराल में रहकर अपने हक अधिकारों के पक्ष में लड़ाई लड़ी या फिर क़ानूनी सलाह से फिर से नये जीवन की शुरुआत करने का फैसला लिया| ट्रस्ट के साथियों द्वारा मामलों की निष्पक्ष जांच-पड़ताल के लिए दोनों पक्षों के पड़ोसियों, रिश्तेदारों व पंचायत प्रतिनिधियों से मिलकर जानकारी ली गई| लगभग दो या तीन महीने अलग रहने के बाद ही सोच समझकर महिलाएं ससुराल वापिस जाने के लिए सहमत हुई| ट्रस्ट का मकसद यही रहता है कि छोटे-छोटे मसले आपसी बातचीत से ही हल हो जाएं| परन्तु यदि मामला संगीन हो और हिंसा से जुड़ा हो तो पीड़ित के निर्णय को अंतिम मानकर ही कार्यवाही की जाती है|

(2) उपरोक्त 44 मामलों में ट्रस्ट ने पाया कि समाज में केवल महिलाएं ही नहीं पुरुष भी प्रताड़ित हैं| परन्तु ध्यान देने योग्य बात है कि पीढ़ियों से समाज में सबसे ज्यादा हिंसा और भेदभाव की मार महिलाएं ही सहती आ रही हैं और यह सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है| निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए कुछ मामलों में महिलाएं दोषी पाई गई, जिन्हें ट्रस्ट के साथियों द्वारा पहले व्यक्तिगत तौर पर तथा इसके पश्चात दोनों पक्षों की तीन से चार बार काउंसलिंग के बाद महिलाओं ने स्वीकार भी किया|

(3) कुछ मामले जो लंबित थे, उन्हें दोबारा कार्यालय में बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को एक साथ बिठाकर मामले को और गंभीरता से समझने की कोशिश की गई| इन लंबित मामलों में से लगभग सभी मामलों में महिलाओं ने, उन पर भविष्य में हिंसा न हो, उनकी आज़ादी, हक-अधिकारों का हनन न हो, यह सुनिश्चित कर ससुराल वापिस जाकर फिर से एक नई शुरुआत करने का फैसला लिया|

(4) घरेलू हिंसा सर्वाइवर महिलाओं की समय समय पर ओरिएंटेशन की गई| उन्हें एक सौहार्दपूर्ण व सुरक्षित माहौल देने में संगठन काफी हद तक सफल हो पाया है| आजीविका कुशलता मेले में इन्ही सर्वाइवर महिलाओं ने अपने जीवन की संघषों भरी कहानी साझा की तथा संगठन में आकर उनके जीवन में हुए सकारात्मक बदलावों को खुलकर व्यक्त किया जो संगठन के लिए एक अधुरा सपना पूरा होने जैसा है|

मलका देवी केस:- बैजनाथ ब्लॉक से संबंध रखने वाली मलका देवी, जिनकी उनके ससुराल पक्ष द्वारा मिलकर हत्या कर, मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश की गई| पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट की टीम तथा विभिन्न पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों व महिला मंडलों की महिलाओं ने लामबंद होकर मामले में हस्तक्षेप किया और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आन्दोलनरत हुए| जिसके कारण पुलिस व न्याय व्यवस्था सक्रीय हुई तथा मायके पक्ष के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और जून माह में न्यायालय द्वारा मामले की पहली सुनवाई की गई| अगस्त सितंबर माह के दौरान ट्रस्ट के साथियों द्वारा स्थानीय विधायक से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई| इसके साथ ही अधिवक्ता से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि मामले से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी ट्रस्ट के साथियों को समय-समय पर दी जाए|

विभिन्न विभागों व् निकाय का एक्सपोजर – PMVT कोर टीम:–

सरकारी व् गैर सरकारी संस्थानों में होने वाले प्रशिक्षण व् कार्यक्रम क्षमता वर्धन, विभिन्न जानकारियां हासिल करने में कारगर साबित होते है | इसीलिए ट्रस्ट अपनी कोर टीम और सुविधा प्रदाता को कार्यक्रमों व प्रशिक्षण में भेजता है| ताकि संगठन की विचारधारा को अलग-2 माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जा सके| ट्रस्ट महिला न्याय और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के सन्दर्भ में अपनी बात सभी विभागों में रखते है| सरकारी विभागों में ज्यादातर अधिकारी पक्षपाती और पुरुष प्रधान होते हैं| ट्रस्ट की यही कोशिश रहती है कि लिंग और जाति से जुड़े मुद्दों, उनकी असमानताओं को देखने और समझने के नज़रिए और कार्य करने की क्षमता को भी नया मोड़ मिले| PMVT कोर टीम द्वारा इस वर्ष विभिन्न संस्थानों और विभागों में एक्स्पोजर तथा प्रशिक्षण लिया गया|

क्रं.सं	एक्सपोज़र/कार्यक्रम का नाम	संस्थान या विभाग का नाम	एक्सपोजर पर गये सदस्यों के नाम	दिनों की संख्या	एक्सपोजर का विवरण
1.	**नेशनल काउंसिल ऑफ़ वीमेन लीडर्स**	**वेव फाउंडेशन**	**ममता देवी, सरला देवी, नानकी भारद्वाज**	**05**	**लीडरशिप ट्रेनिंग**
2.	**जेंडर, पितृसत्ता और इंटरसेक्स प्रशिक्षण**	**हिमाचल क्वीर फाउंडेशन**	**सकीना देवी, लता देवी, सीमा देवी, सीमा अवस्थी, मधु देवी**	**05**	**जेंडर, पितृसत्ता तथा समता-समानता मुद्दों पर चर्चा-परिचर्चा**
3.	**उत्तराखंड यात्रा**	**हिमधरा संगठन**	**सकीना देवी, लता देवी**	**10**	**वन अधिकार कानून**
4.	**जाति व यौन हिंसा आधारित और राज्य में दंड मुक्ति**	**स्वाभिमान सोसाइटी हरियाणा**	**कोर टीम**	**01**	**हरियाणा में दलित महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा पर रिपोर्ट रिलीज़**
5.	**महिलाओं के साथ होने वाली जाति आधारित हिंसा पर विभिन्न संस्थाओं के संस्थापकों के साथ चर्चा-परिचर्चा**	**सूत्रा (जगजीतनगर)**	**बिमला विश्वप्रेमी, नानकी भारद्वाज**	**01**	**पहाड़ी राज्य(हि.प्र.) में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसाओं पर गहन चर्चा**
6.	**एनसीडब्लूएल के अंतर्गत रिव्यु**	**वेव फाउंडेशन**	**बिमला विश्वप्रेमी**	**02**	**देश के विभिन्न महिला संगठनों के संस्थापकों के कार्यों की चर्चा-परिचर्चा**
7.	**बैंगलौर यात्रा (कोर्ट ऑफ़ वीमेन ऑन कोविड)**	**विमोचना संस्थान**	**नानकी भारद्वाज, मधु देवी**	**02**	**कोरोना महामारी के दौरान वुमन कोर्ट में आए मामलों को प्रेजेंट करना**
8.	प्रोजेक्ट मुक्ति दिल्ली(जिंदगी फ़ेलोशिप)	हौजखास (दिल्ली)	सरला कुमारी, मधु देवी	3	(व्यावसायिक ट्रेनिंग)
9.	ब्लॉक की ओर मोटे अनाजों को प्रोमोट करना	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(कलाग्राम, चण्डीगढ़)	सकीना देवी	14	मोटे अनाजों से बने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल लगाना
10.	ब्लॉक की ओर मोटे अनाजों को प्रोमोट करना	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (सुजानपुर, हिमाचल प्रदेश)	सकीना देवी	9	मोटे अनाजों से बने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल लगाना

11.	हॉल्टीकल्चर ट्रेनिंग एक्सपोज़र (ब्लॉक लम्बगांव, हि. प्र)	पंजाबी यूनिवर्सिटी (लुधियाना)	लता देवी	05	मधुमखी पालन, फूल उत्पादन, कार्बनिक खेती, मशरूम, ढींगरी इत्यादि जैसे उत्पादनों के बारे में जानकारी लेकर व्यवसाय में क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना
12.	हॉल्टीकल्चर ट्रेनिंग एक्सपोज़र (ब्लॉक **लंबा**गांव, हि. प्र)	कृषि विश्वविद्यालय (पालमपुर हिमाचल प्रदेश)	लता देवी	05	मशरूम और ढींगरी उत्पादन की ट्रेनिंग

"सुख चैना दे ध्याड़े" बहनों की जुबानी

हिमाचले दे हर डिस्टिक, गाँव कने परिवारे च अलग अलग तरीके कने जनासां घुटन, हिंसा, मेंटल ट्रौमा ते जुझदी कने लड़दी| ए हिमाचल ही नी दुनिया दी हर एक औरत सहण करदी क्यूंकि आहां दा समाज कई पीढीयां ते पितृसत्ता दी बेड़ियाँ च जखड़ीरा, एजनासां जो अपणे कन्ट्रोल च रखने ताएं मार पीट वी करदा कने मर्डर करणे ते वी नी डारदा| पर अब रामे रामे ने महोल च थोड़ा बदलाव होण दी उम्मीद है|

पर्वतीय महिला अधिकार मंच काफी साले ते जनासां दे मुद्दे, समता-समानता कने बराबरी ताएं कम करदा आया है| घरेलु हिंसा ते पीड़ित जेडीयां बहणां हन, तिना दे घरे जाई करी आंहां ये जाणने दी कोशिश करदे कि जनासां हिंसा दे खिलाफ खड़े होण, कने अपणी घुटन भरी जिंदगी दे बारे पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट कने खुली ने दसदी है, पर तिन्हा दे परिवारे च क्या महोल है, क्या देह दी गाल है कि बचपणे ते ही इतना सहण करदी हैं, ए संगठना ताएं जाणना बौत जरूरी है| संगठना कने जुड़ने ते बाद तिन्हाँ जनासां दे जीवन च समाजिक, आर्थिक कने परिवारिक क्या बदलाव आया, कने परिवारे कने तीन्हा दा आपु च तालमेल, प्यार मुहब्बत कने पूरा सम्मान भी मिला करदा या नी, आहां पीड़िता कने तिन्हा घरे च सोहार्दपूर्ण महोल बनाई पाण कि नी, पीड़िता ताएं संगठन सेफ महोल बनाण च कितना सफल रहेया, ए जाणने दी कोसिस करदे बचपने दियाँ खट्टी मीठीयां गलां दा दौर याद करणे, अपणे अधूरे सुफणे पूरे करणे, कने संगठन होर जनासां दे बिच परिवारे दा रिस्ता हमेसा ताएं बणिरा रहे, समाजे च बराबरी दी स्थापना हो, PMVT दा ए ही सुफना है |

कुछ सफल कहानियाँ

जिला काँगड़ा में घरेलू हिंसा की शिकार महिला ने पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट के साथ अपनी कहानी साझा की| पीड़िता एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट महिला है, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी करने का सपना देखा करती थी| लेकिन माता पिता द्वारा अपनी बेटी की शादी बिना उनकी मर्जी जाने एक सरकारी नौकर से करवा दी|ज़ाहिर है कि पीड़िता का आत्मनिर्भर होने का सपना सपना ही रह गया| शादी के कुछ दिनों बाद ही पति पत्नी में आपसी मनमुटाव होने शुरू हो गये| कुछ सालों में उनके तीन बच्चे (दो लडकियां तथा एक लड़का) होने के बाद भी उनके आपसी मनमुटाव व लड़ाई झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले गए | फौज से रिटायर होने के पश्चात जब पीड़िता के पति घर लौटने के कुछ वक़्त के बाद उनके आपसी झगड़ों ने हिंसा का रूप ले लिया| पति शराब के नशे में धुत्त रहने लगे जिससे घर का माहौल हर दिन बिगड़ता ही गया तथाअपने पिता द्वारा माँ पर की जाने वाली रोज़ की हिंसा को

देखकर बच्चों की मानसिक स्थिति पर भी नकारात्मक असर पड़ने लगा | अंत में रोज़ रोज़ होने वाली हिंसा से परेशान होकर पीड़िता अपने बच्चों को लेकर किराए के घर में रहने के लिए मजबूर हो गई|कुछ दिनों बाद पीड़िता ने पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट के साथियों से संपर्क किया | ट्रस्ट के साथियों ने तीन से चार दफा बातचीत व काउंसलिंग करके, पीड़िता किस ट्रस्ट से किस तरह की कार्यवाही की उम्मीद करती हैं ये जानने की कोशिश की| ट्रस्ट के साथियों ने पीड़िता के मायके तथा ससुराल की पंचायत प्रतिनिधियों से भी इस मामले को सुलझाने के लिए सामूहिक बैठक करने का अनुरोध किया जिसपर पंचायत प्रतिनिधियों ने सहमती जताई| इसके पश्चात पंचायत की तरफ से दोनों पक्षों,उनके परिवारों तथा पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट के साथियों को भी बैठक में बुलाया | दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले के कई पहलू सामने आए| कुछ दिनों पश्चात बैठक दोबारा बुलाए जाने पर पीड़िता पति के साथ जीवन बिताने के लिए इस बात पर राज़ी हुई, यदि पति ये सुनिश्चीत करे कि वह शराब व् अन्य नशों से दूर रहेंगे तथा भविष्य में कभी भी उनके साथ मार पीट नहीं करेंगे|पति ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के सामने आश्वासन दिया की भविष्य में उनकी तरफ से कभी भी ऐसी गलती करने का मौका नहीं दिया जाएगा|

वर्तमान में पीड़िता अपने परिवार में पति व बच्चों के साथ राज़ी ख़ुशी जीवन बिता रही हैं |

गौरी देवी के साथ शादी के चार महीने बाद ही पति ने मार पीट करनी शुरू कर दी थी। पति पंजाब में रहते थे, तो उसे भी वहीं ले गये। शादी के बाद गौरी देवी पर पति द्वारा हर महीने मायके से 5000 रूपये मांगने का दवाब बनाया गया। जब उसने पैसे मांगने से इंकार किया तो पति ने उसे जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। कई बार पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन हर बार पुलिस द्वारा भी समझौता करवा दिया जाता था। जब पति के रवैये में कोई सुधार नहीं आया और गुस्से में बेटे पर उबलता हुआ दूध फ़ेंक दिया तो उसने मायके पक्ष को बुलाकर दोबारा पुलिस से सहायता मांगी। पुलिस ने कार्यवाही करने के लिए 10 हजार रुपये की मांग की। इस पर मायके पक्ष ने उनसे कहा कि हम इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके यहाँ पहुंचे हैं और यदि पैसे लेकर ही पुलिस सहायता करती है तो न्याय व्यवस्था किस मुहं से स्वयं को निष्पक्ष करार देती है , जहां हम जैसे गरीब लोगों को इंसाफ के लिए पैसा देने की नौबत पड़ जाए। लेकिन पुलिस वालों पर उनकी दलीलों का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने उनसे शिकायत दर्ज करने के एक हजार रुपये ले ही लिए। पर्वतीय महिला अधिकार मंच को गौरी देवी की माँ ने संपर्क करके जब बताया कि गौरी देवी और उनके बेटे को ससुराल वालों ने घर में बंद कर दिया है, तो सबसे पहले संगठन की तरफ से टेलीफोन के ज़रिए पुलिस प्रशासन को चेताया गया तथा टीम की एक साथी संगठन के माध्यम से मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए गौरी के माता पिता के साथ अमृतसर पहुंचे। संगठन ने पुलिस प्रशासन से मांग की, कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़िता को कमरे से जल्द से जल्द निकाला जाए तथा गौरी देवी को हर प्रकार की पुलिस सुरक्षा दी जाए।

पुलिस प्रशासन ने संगठन के हस्तक्षेप के बाद ही मामले को गंभीरता से लेते हुए गौरी व उसके बेटे को सुरक्षित कमरे से बाहर निकालकर पुलिस स्टेशन पहुँचाया| गौरी द्वारा शरीर पर मार पीट के निशान दिखाने पर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन वह पंजाबी भाषा में थी। इतना ही नहीं एफआईआर बिना पढ़ाए ही हस्ताक्षर करने के लिए कहा। गौरी देवी खुद पंजाबी नहीं जानती। संगठन ने पुलिस प्रशासन को गौरी देवी की एफआईआर हिंदी में दर्ज़ करने तथा पढ़कर सुनाने के लिए बाध्य किया| ससुराल पक्ष को जब पुलिस स्टेशन बुलाया गया, तो सास ने गुस्से में गौरी को जोर से धक्का मारा, जिसका किसी ने भी विरोध नहीं किया।

इतना सब होने के बाद गौरी को सुरक्षित मायके वापिस लाया गया जहां वह अपने बेटे के साथ जीवन बसर कर रही है| पर्वतीय महिला अधिकार मंच में जुड़ने, प्रशिक्षणों तथा मानसिक स्वास्थ्य से सम्बंधित कार्यशाला में निरंतर शामिल होने के बाद उसकी मानसिक तथा आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आया है| वर्तमान में गौरी हिंसामुक्त जीवन व्यतीत कर रही है तथा हर प्रकार से

आत्मनिर्भर होने में सफल हुई है|

निधि के पिता हर रोज दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। इसी दौरान एक दिन निधि को पता चला कि पिता ने एक 'अच्छे' परिवार में उसका रिश्ता पक्का कर दिया है। बेटी की शादी में कोई कमी न रह जाए इसलिए उम्र भर की कमाई शादी में लगा दी। लेकिन शादी के बाद पता चला कि उसका पति एक नशेड़ी है और रात दिन भांग के नशे में धुत्त रहता है। उसके लिए निधि को मारना पीटना आम बात थी। जब सास ससुर से पूछा गया कि शादी से पहले उसे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया गया, तो उसकी बातों को अहमीयत न देते हुए उन्होंने अपने बेटे के बचाव में ही दलीलें दी। ससुराल पक्ष से सहायता की कोई उम्मीद नजर न आने पर निधि ने घरेलू हिंसा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। कोर्ट में जब केस चला तो सास ससुर ने दिखावा किया कि उन्होंने अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया है, जबकि वे सब एक ही घर में मिल जुल कर रह रहे हैं। इसके बाद निधि के सास-ससुर ने दो बेटियों के साथ उसे घर से बाहर निकाल दिया।

स्थानीय महिला मंडलों व समूहों की महिलाओं से एक दिन निधि की माँ को संगठन के बारे में पता चला और बिना देर किए उन्होंने अपनी बेटी कि व्यथा टीम के साथ साझा कर ससुराल वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मदद मांगी। पर्वतीय महिला अधिकार मंच कि टीम ने घरेलू हिंसा तथा हत्या की कोशिश करने के जुर्म में निधि के पति के खिलाफ कोर्ट से सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। कोर्ट की सुनवाई के पश्चात निधि को रिहाइश के तौर पर ससुराल में रहने के लिए पुराने घर का एक कमरा दिया गया, जिसका दरवाजा पति ने तोड़ दिया तथा खिड़की भी सिर्फ नाममात्र की ही थी। पति ने एक दिन मौका पाकर निधि को जानवरों की तरह पीटा तथा उसके बाजू पर तेज हथियार से वार किया। किसी तरह वह अस्पताल पहुँची, जहां पर उसकी बाजू में 20 टांके लगाए गए। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसके पिता को गहरा सदमा लगा और उनकी अकस्मात मौत हो गई।

वर्तमान में निधि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं तथा अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा रही हैं। ससुराल पक्ष पर हाई कोर्ट शिमला में क्रिमिनल केस चल रहा है तथा निधि को विश्वास है कि उसे एक दिन न्याय जरूर मिलेगा।

हमारी आवाज़

पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट महिलाओं के हक-अधिकारों के पक्ष में पिछले कई वर्षों से संघर्षशील है| एक वर्ष में संगठन ने विभिन्न कार्यकर्मों, प्रशिक्षणों, क्षमतावर्धनों तथा प्रगतिशील गीतों, फिल्मों व नुक्कड़-नाटक (फोरम थिएटर) के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक- आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया तथा साथी संगठनों द्वारा आयोजित चर्चा-परिचर्चाओं व कार्यकमों में भाग लेकर सामाजिक मुद्दों (जेंडर, पितृसत्ता, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि) पर उन्होंने खुलकर अपने विचार साझा किए| 24 जून 2023 को ट्रस्ट द्वारा आयोजित आजीविका कुशलता मेला में लगभग 500 साथियों ने भाग

लेकर संगठन के प्रति अपना विश्वास जताया है| बराबरी, भेदभावमुक्त/हिंसामुक्त समाज का निर्माण हो, इसके लिए संगठन वचनवद्ध है|

एक साल मे हमने क्या पाया - समाज जब आदिम अवस्था से गुलामी की अवस्था में पहुंचा, तब तक पुरुष महिला पर अपना अधिकार स्थापित कर समाज में पितृसता की स्थापना कर चुका था| कई पीढ़ियों से समाज इसी पितृसत्ता के बलबूते पर महिलाओं की आज़ादी, हक- अधिकार छीनता तथा इज्ज़त के बोझ तले दबाता आया है| पिछले 15 सालों से पर्वतीय महिला अधिकार मंच जमीनी रूप से समाज के उन तबकों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो सामाजिक-आर्थिक, लैंगिक और जातिगत भेदभाव, छुआछूत व हिंसा का दंश पीढ़ीयों से झेलते आ रहे हैं| संगठन यह समझ रखता है कि इंसानियत और बराबरी में विश्वास रखने वाले साथी चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से सम्बन्ध रखते हों, शोषित, पिछड़े और हाशिए पर खड़े लोगों के साथ मिलकर काम करना, स्वयं में ही प्रगतिशीलता का उदाहरण है| ऐसे ही साथियों के साथ मिलकर संगठन वर्षों से जमीनी रूप में हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहा है| समता-समानता, हिंसा व भेदभावमुक्त समाज की स्थापना हो, इसी विचार के साथ संगठन की नींव भी रखी गई|

पर्वतीय महिला अधिकार मंच से चुनौतियों, परेशानियों अच्छे-बुरे, सुख-दुख के खट्टे-मीठे अनुभवों को जीते हुए पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट बनने तक का सफ़र तय किया गया| एक वर्ष पूरा करते हुए ट्रस्ट को बहुत सी उपलब्धियां भी हासिल हुई:

- "आवाजें फाउंडेशन" की आर्थिक मदद से संगठन में 2000 से अधिक महिलाएं सदस्य के रूप में जुड़ी हैं| एक वर्ष में 1146 महिलाओं ने संगठन की सदस्यता ली है|
- एक वर्ष में 22 बैठकों में 1249 महिलाओं ने सदस्यता बैठकों में भाग लिया|
- वर्ष भर में जिला काँगड़ा के बैजनाथ ब्लॉक की 21 पंचायतों के 138 गाँव में 518 बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें 6996 साथियों तक ट्रस्ट की पहुँच बनी है|
- घरेलू हिंसा के 84 मामलों की सुनवाई व फैक्ट-फाइंडिंग कर, महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने तथा उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने का प्रयास किया गया जिसमें ट्रस्ट को सफलता भी हासिल हुई|
- संगठन में आने वाली पीड़ित महिलाओं तथा परेशान परिवारों को एक सोहार्दपूर्ण माहौल देने में काफी हद तक संगठन सफल रहा|
- घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की कहानियों पर आधारित एक 'बुकलेट' तैयार कर दस्तावेज़ीकरण भी किया गया|
- सर्वाइवर महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षणों, क्षमता वर्धनों व कार्यकमों के जरिये उन्हें आजीविका से जोड़ने के प्रयास किए गये|
- विभिन्न पंचायतों के महिला-मंडलों, स्वयं सहायता समूहों के साथ सक्रीय रूप से जुड़कर कार्य किया गया|
- संगठन का पहला बड़ा इवेंट 'जीणा कांगड़े दा' के बैनर तले 'हमारे हुनर हमारी आजीविका' शीर्षक के साथ पालमपुर में आयोजित किया गया| जिसमें कांगड़ा की कई पंचायतों के स्वयं सहायता समूहों/ महिला मंडलों की महिलाओं ने हाथ से तैयार किए विभिन्न प्रकार के उत्पादों के स्टॉल लगाकर मुनाफा कमाने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यकमों में बढ़ चढ़ के भाग लिया| घरेलू हिंसा की सर्वाइवर महिलाओं ने अपनी घुटन/अत्याचारों भरी जिंदगी की कहानी तथा संगठन से जुड़ने के बाद उनके जीवन में आए बदलावों के अनुभव खुलकर सभी साथियों के साथ साझा की, जो संगठन की वर्ष भर की सबसे बड़ी उपलब्धि रही|

गीत: पर लगा लिए हैं हमने

पर लगा लिए हैं हमने, पर लगा लिए हैं हमने

अब पिंजरों में कौन बैठेगा, जरा सुन लो|

जब तोड़ दी हैं जंजीरें-2,

तो कामयाब हो जाएँगे, जरा सुन लो |

खड़े हो गये हैं मिल के-2,

तो हम को कौन रोकेगा, जरा सुन लो|

दीवारें तोड़ दी हमने-2,

अब खुलकर सांस लेंगे, जरा सुन लो|

औरों की ही मानी अब तक-2,

अब खुदी को बुलंद करेंगे, जरा सुन लो|

देखो सुलग उठी है चिंगारी-2,

अब ज़ुल्मों की शामत आई है, जरा सुन लो|

मर्दों के बनाए कानून-2,

अब हमको मंज़र नहीं, जरा सुन लो|

कमला भसीन